मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 100/04(01)कैम्प–प्र0अ0–ए0सी0आर0/2017 देहरादून, दिनांक 05 जुलाई, 2017

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–।/।।,
सिविल/रा0मा0/ADB/UEAP/UDRP/PMGSY,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :– **विभाग के अभियन्ताओं/कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियां अद्यतन करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 843/।।।(1)/17–01(11)/अधि0/2014 दिनांक 04.07.2017 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। शासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि चरित्र प्रविष्टियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1712/कार्मिक–2/2003 दिनांक 18.12.2003 के द्वारा समय–सीमा निर्धारित है तथा यह भी स्पष्ट है कि यदि किन्ही मामलों में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कोई अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध नहीं करता है, तो प्रतिवेदक अधिकारी से मन्तव्य प्राप्त किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्दिष्ट किया गया हैं कि उक्त शासनादेश के अनुसार यदि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रविष्टि नहीं दी गयी है, तो **इस शिथिलता हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक/प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**

शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश दिनांक 18.12.2003 में निहित समय–सीमा के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियों को अद्यतन कर लिया जाए। **यदि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत चरित्र प्रविष्टियां पूर्ण नहीं की जाती है तो तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाए।**

समस्त श्रेणी के कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियां अद्यतन किये जाने एवं शासनादेश का अनुपालन किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय से निरन्तर लिखा जा रहा है। परन्तु अधीनस्थ स्तरों से इसका अनुपालन न किया जाना खेदजनक है। अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि शासनदेश दिनांक 18.12.2003 में निहित व्यवस्था के अनुरूप चरित्र प्रविष्टियां अद्यतन कर यथाशीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न–यथोपरि।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार संलग्नक की प्रति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ADB/UEAP/UDRP/PMGSY, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।/।।/निदेशक, क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ADB/UEAP/UDRP/PMGSY, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड/विभागाध्यक्ष कार्यालय।

संलग्न–यथोपरि।

Immidiate circular

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
6/7/17